By E-mail

From,

Rajeev Bharti, H.J.S.,
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

1. **All the District & Sessions Judges/ O.S.D.,**
   District Judiciary of Uttar Pradesh.

2. **All the Principal Judges,**
   Family Courts of Uttar Pradesh.

No. 4768 /Admin. (E-I) Section/XC-27/ Dated: Allahabad: 10.04.2024

Subject:- Regarding declaration of Public Holiday on account of General Election of Lok Sabha-2024 and Bye-election of Legislative Assembly-2024 in the State of Uttar Pradesh.

Madam/Sir,

I am directed to say that Hon'ble the Court has been pleased to declare Public Holiday in your Judgeship only on the date when General Election of Lok Sabha-2024 and Bye-election of Legislative Assembly-2024 are to be held on working days in your district in consonance with the communique No. /Teen-2024-39(1)/2002 dated 02.04.2024 (File no. 3-1012(002)/69/2019) of Samanya Prashasan Anubhag, Uttar Pradesh Shasan, under Section 25 of Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. 26 of 1881).

The schedule of the General Election of Lok Sabha-2024 and the Bye-Election of Legislative Assembly-2024 in the State of U.P. are as follows;

Date of Polling/Phase	Name of the Districts
19.04.2024 (Friday) <u>(Ist Phase)</u>	Saharanpur, Shamli, Muzaffarnagar, Bijnor, Meerut, Moradabad, Rampur, Pilibhit, Bareilly.
26.04.2024 (Friday) (IInd Phase)	Amroha, Hapur, Meerut, Baghpat, Ghaziabad, Gautambuddha Nagar, Bulandshahar, Aligarh, Mathura.
07.05.2024 (Tuesday) (IIIrd Phase)	Moradabad, Sambhal, Hathras, Aligarh, Agra, Etah, Firozabad, Mainpuri, Etawah, Kasganj, Budaun, Bareilly.
13.05.2024 (Monday) (IVth Phase)	Shahjahanpur, Kheri, Sitapur, Hardoi, Kanpur Nagar, Unnao, Etah, Farrukhabad, Etawah, Auraiya, Kanpur Dehat, Kannauj, Bahraich. (Legislative Assembly Constituency 136-Dadraul, District-Shahjahanpur)
20.05.2024 (Monday) (Vth Phase)	Lucknow, Sitapur, Raebareli, Amethi, Sultanpur, Kanpur Dehat, Jalaun, Jhansi, Lalitpur, Hamirpur, Mahoba, Banda, Chitrakoot, Fatehpur, Kaushambi, Pratapgarh, Barabanki, Ayodhya, Gonda, Bahraich, Balrampur. (Legislative Assembly Constituency 173-Lucknow East, District-Lucknow)
25.05.2024 (Saturday) (VIth Phase)	Sultanpur, Pratapgarh, Prayagraj, Ayodhya, Ambedkar Nagar, Shravasti, Balrampur, Siddharth Nagar, Basti, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, Azamgarh, Jaunpur, Varanasi, Bhadohi. (Legislative Assembly Constituency 292-Gainsari, District-Balrampur)
01.06.2024 (Saturday) (VIIth Phase)	Maharajganj, Gorakhpur, Kushinagar, Deoria, Mau, Ballia, Ghazipur, Chandauli, Varanasi, Mirzapur, Sonbharda. (Legislative Assembly Constituency 403-Duddhi (S.T.), District-Sonbhadra)

Contd......

HIGH COURT AT ALLAHABAD

I am further directed to say that you may render all the facilities to the employees who have been deployed in the election as contained in the aforesaid Communique.

With regards,

Encls: Copy of communique dated 02.04.2024
of Uttar Pradesh Shasan

Yours Sincerely,

10/4/24

Registrar General

No. 4769/Admin. (E-I) Section/XC-27/ Dated: Allahabad: 10.04.2024

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Joint Registrar (J) (Computer)/ System Manager Computer Center, Allahabad High Court with request to direct the concerned to upload the notice on official website of the Allahabad High Court.
2. The Joint Director, Printing & Stationery, Prayagraj with request to get the same published in the next issue of Gazette of the Government of Uttar Pradesh.

10.04.2024

I/c Joint Registrar (J) (Services)

Seen. Circulate amongst all Courts for information and copy to all Bar Associations for information. Paste a copy in the Notice board of the Judgeship and copy uploaded in the official website of the Judgeship.

DISTRICT JUDGE
KANPUR DEHAT
10/04/24

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या– /तीन–2024–39(1)/2002
लखनऊ : दिनांक :02 मार्च, 2024
अप्रैल,

विज्ञप्ति/विविध

निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट सं0–26) की धारा–25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या–20/25–56–Pub-1, दिनांक 08 जून 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में निर्दिष्ट तिथि को अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में तत्स्थानीय प्रविष्टि में निर्दिष्ट आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन तथा विधान सभा उप निर्वाचन–2024 से संबंधित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित करती हैं। अनुसूची के तृतीय स्तम्भ निर्दिष्ट आगामी लोक सभा तथा विधान सभा उप निर्वाचन–2024 के क्षेत्र से संबंधित जिले के कोषागार तथा उप कोषागार भी इस इंगित तिथि को बन्द रहेगें।

अनुसूची

क0सं0	मतदान की तिथि/चरण	जिलों का नाम
(1)	(2)	(4)
01	19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार)/प्रथम	सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली।
02	26 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार)/द्वितीय	अमरोहा, हापुड़, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा।
03	07 मई, 2024 (मंगलवार)/तृतीय	मुरादाबाद, सम्भल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, काशगंज, बदायू, बरेली।
04	13 मई, 2024 (सोमवार)/चतुर्थ	शाहजहॉपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, बहराइच। (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 136–ददरौल, जनपद शाहजहॉपुर)
05	20 मई, 2024 (सोमवार)/पंचम	लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, जालौन, झॉसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अयोध्या, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर। (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 173–लखनऊ पूर्व, जनपद लखनऊ)
06	25 मई, 2024 (शनिवार)/षष्टम	सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, भदोही। (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 292–गैंसड़ी, जनपद बलरामपुर)
07	01 जून, 2024 (शनिवार)/सप्तम	महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 403–दुद्धी (अ0ज0जा0) जनपद सोनभद्र)

Digitally Signed by
जितेन्द्र कुमार (जितेन्द्र कुमार)
Date: 02-04-2024 18:18:50 अपर मुख्य सचिव।
Reason: Approved

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों/ अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार एतद द्वारा उन्हें इस बात का प्राधिकार देती हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, जिनकी ड्यूटी इस लोक सभा सामान्य निर्वाचन एवं विधान सभा, उप निर्वाचन में लगायी गयी है, को उनके सामान्य कार्य से ऐसे समय मुक्त कर दें, जिससे उनकी राय में उक्त कर्मचारी अपने–अपने मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त समय रहते पहुँच सकें और वहाँ अपने ठहरने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सकें।

इस सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष इत्यादि, जहाँ आवश्यक हो, जिलाधिकारी से परामर्श कर सकते हैं, जो निर्वाचन में काम करने वाले कर्मचारियों के आने–जाने के लिए समय–सारणी तैयार करते हैं। यदि कर्मचारीगण जो निर्वाचन अथवा मतगणना के वक्त लगाये गये हैं, निर्वाचन के दिनांक अथवा मतगणना के दिनांक जैसी भी स्थिति हो, के ठीक पश्चात के दिनों को समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित न हो सके तो उनकी अनुपस्थिति क्षमा कर दी जानी चाहिए।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एंव दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर, इलाहाबाद के महानिबन्धक को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह मा0 उच्च न्यायालय से अपने अधीनस्थ न्यायालयों तथा कार्यालयों में उक्त निर्दिष्ट जनपद/दिनांक को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों, जो निर्वाचन के कार्यों पर लगाये जाय, को उपर्युक्त सामान्य सुविधाएं देने की व्यवस्था करने के लिए निवेदन करें।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एंव दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2– सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यों का विभाग, नई दिल्ली।
3– सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
4– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या–337/सी0ई0ओ0–2–09/2–2024, दिनांक 18–03–2024 के सन्दर्भ में।

:: 3 ::

5– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।

6– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

7– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् उत्तर प्रदेश।

8– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, श्रम विभाग, नगर विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं ऊर्जा विभाग को क्रमशः शिक्षण संस्थान व्यापारिक/व्यवसायिक तथा औद्योगिक संस्थाओं आदि एवं नगर पालिकाओं/निगमों/अन्य स्थानीय निकायों को इसी प्रकार के निर्देश भेजने हेतु प्रेषित।

9– समस्त, मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।

10– महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

11– मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

12– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रचार एवं प्रसार करें।

13– संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्राणालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति का उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशन कराकर उसकी 25 प्रतियाँ सामान्य प्रशासन अनुभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

14– उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, गोमती नगर, लखनऊ।

15– सचिवालय के समस्त अनुभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश यादव)
उप सचिव।